ANNEXURE-1

From
Abhinitam Upadhyay
Additional District and Sessions Judge
Balrampur

To
The Registrar General
Hon'ble Allahabad High Court
Prayagraj (Allahabad).

Sub: Affidavit in support of my Complaint dated 23.12.2023 against Sh. Anil Kumar Jha, District Judge, Balrampur.

Sir,

Presenting my utmost request this is to submit that I am posted as Additional District and Sessions Judge, Balrampur with effect from 14.04.2021. Sh. Anil Kumar Jha has taken charge as District Judge, Balrampur on 10.05.2023. I have submitted an administrative complaint dated 23.12.2023 (total 06 pages) with seven annexures (total 12 pages) to Hon'ble High Court against Sh. Anil Kumar Jha, present District Judge, Balrampur by Speed Post No. EU103581585IN dated 23.12.2023 and also by e-mail dated 23.12.2023 to e-mail id. "rg@allahabadhighcourt.in" by my e-mail id. "abhinitam@gmail.com". I have received reply on my e-mail on 02.01.2024 from Sh. Kaustubh Bhattashali, Review Officer, Secretariat of Ld. Registrar General asking me to submit my complaint on affidavit along with all supporting documents.

Therefore, I am submitting my affidavit (total 01 page) in support of my complaint dated 23.12.2023 with copy of complaint dated 23.12.2023 (total 06 pages) with seven annexures (total 12 pages) as supporting documents along with this letter and praying to place the same before Hon'ble Court for kind consideration.

Encl: As above
Dated: 08.02.2024.

Yours Sincerely

Abhinitam Upadhyay
08/02/2024

Abhinitam Upadhyay
(JO CODE – UP06192)
Additional District and Sessions Judge, Balrampur.

Self attested
Abhinitam Upadhyay

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

Rs.10

TEN RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

86AE 791843

07 DEC 2023

NOTARY
A.K. Srivastav
Distt. - H.Q.
Balrampur
Reg. No. 63
(37A) 2014
Govt. of Uttar Pradesh

AFFIDAVIT

Affidavit of ABHINITAM UPADHYAY s/o Sri Dharnidhar Upadhyay, aged about 43 Years presently posted as Additional District Judge, Balrampur, Religion Hindu, Occupation Judicial Service.

I, the deponent named above, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

1. That the deponent is presently posted as Additional District and Sessions Judge, Balrampur with effect from 14.04.2021. Sh. Anil Kumar Jha has taken charge as District Judge, Balrampur on 10.05.2023. The deponent has submitted an administrative complaint dated 23.12.2023 (06 pages) with seven annexures (total 12 pages) to Hon'ble High Court against Sh. Anil Kumar Jha, present District Judge, Balrampur.

2. That the deponent has sent the aforesaid complaint dated 23.12.2023 with seven annexures by Speed Post No. EU103581585IN dated 23.12.2023 and also by e-mail dated 23.12.2023 to e-mail id. "rg@allahabadhighcourt.in" by my e-mail id. "abhinitam@gmail.com".

3. That the deponent states that all the facts and circumstances mentioned in the aforesaid complaint dated 23.12.2023 (06 pages) with seven annexures (total 12 pages) to Hon'ble High Court against Sh. Anil Kumar Jha, present District Judge, Balrampur are true and correct as per my own knowledge and information.

Abhinitam Upadhyay
08/02/2024

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Balrampur on 08/02/2024 that the contents of Para 1 to 3 of this affidavit are true to my own knowledge and information and nothing material has been concealed therefrom.

Abhinitam Upadhyay

DEPONENT 08/02/2024

Solemnly affirmed Oath before me
Shri Abhinitam Upadhyay S/o Sri Dharnidhar Upadhyay
which has been identified By Sri Self
who is known to me personally contents of the affidavit
the depo. who admits them to be true
Sl. No 324
Date 08.2.2024
A.K. Srivastava
Notary Advocate
Distt H.Q. Balrampur

Self attested
Abhinitam Upadhyay

From
Abhinitam Upadhyay
Additional District and Sessions Judge
Balrampur

To
The Registrar General
Hon'ble Allahabad High Court
Prayagraj (Allahabad).

Sub: Complaint against Sh. Anil Kumar Jha, District Judge, Balrampur.

Sir,

Presenting my utmost request this is to submit that I am posted as Additional District and Sessions Judge Balrampur with effect from 14.04.2021. Sh. Anil Kumar Jha has taken charge as District Judge, Balrampur on 10.05.2023. I am writing this complaint to Hon'ble Court directly without forwarding through District Judge, Balrampur because this is complaint against the present District Judge, Balrampur which will obviously not be forwarded by him. Soon after taking charge Sh. Anil Kumar Jha, District Judge, Balrampur started making illegal and improper demands by pressurizing the officers and staff of Balrampur Judgeship through various means and modes. Sh. Jha has exerted pressures on me also to fulfill his illegal, improper, extraneous and totally unjustified demands. Following are some specific instances of his demands and misdeeds.

(1) (i) A Departmental Inquiry No. 09/2023 was instituted by Sh. Lallu Singh, the then District Judge, Balrampur vide Administrative Order No. 154/2023 Dated 20.04.2023 against Sh. Jogender Singh, a then Class III employee (on contract basis) and nominated me as the Inquiry Officer. The context was that the Administrative Officer and Administrative Clerk of Balrampur Judgeship conducted a joint inspection of Room No. 7 at First Floor of the Court Building where Office of vacant court of ADJ-FTC IInd was situated. After the inspection a detailed 08 page report was submitted which basically stated that about 140 unaccounted case files were found in that Office which was under charge of Sh. Jogender Singh. After that the charged employee Sh. Jogender Singh who was working as contractual employee at Balrampur Judgeship was selected as Stenographer Grade-III in The U.P. Civil Court Staff Centralized Recruitment 2022-23 and was offered appointment at Bulandsahar Judgeship vide letter dated 08.06.2023 and was given 30 days time for joining at Bulandsahar Judgeship. This fact was communicated by the charged employee Jogender Singh to District Judge, Balrampur through Letter Dated 01.07.2023. The District Judge, Balrampur made endorsement order dated 04.07.2023 on that letter to the Inquiry Officer (me) to do the needful at the earliest. Then, Sh. Anil Kumar Jha, District Judge, Balrampur called me in his chamber and directed me to conclude the inquiry within 2-3 days and also directed to exonerate the charged employee so that he may join at Bulandsahar Judgeship by the stipulated time of 08.07.2023. I informed the

Abhinitam Upadhyay
23/12/2023

Self attested
Abhinitam Upadhyay

District Judge Sir that the nature of charge framed against the charged employee is such that it will not be possible to conclude the inquiry in 2-3 days and further that outcome of the Inquiry will depend upon merit of the matter. The District Judge Sir initially tried to convince me that it is matter of service of the charged employee that I should be generous to exonerate him. I avoided the matter at that time saying that I will see the matter at the time of preparation of the Inquiry Report. Then the District Judge Sir pressurized me to submit report anyhow in favour of the charged employee Sh. Jogender Singh. It was very shocking for me to face such pressure from District Judge Sir.

(ii) The next date in the inquiry proceeding was 05.07.2023 when I issued notice to witness in the inquiry proceeding and posted the matter for 12.07.2023 because the witness was no longer in the service and notice had been sent by post. On the next date no proceeding could be conducted because I was attending Training Programme at JTRI Lucknow from 10.07.2023 to 14.07.2023 and was on casual leave on 15.07.2023. It was Sunday on 16.07.2023. When I resumed work on 17.07.2023 then I received a Letter No. 809 Dated 14.07.2023 in sealed envelope issued by the District Judge Sir expressing displeasure that despite his direction dated 04.07.2023 I had not submitted the inquiry report till date with further direction to me to submit the inquiry report within 03 days.

(iii) I went to the chamber of District Judge Sir and informed him about the factual position that inquiry report could not be submitted within 03 days. The District Judge Sir again pressurized me to cut short the inquiry proceeding and to submit report within one day in favour of the charged employee. The District Judge Sir then told me that he had taken money from the charged employee Sh. Jogender Singh and that therefore I had to submit inquiry report in favour of charged employee Sh. Jogender Singh otherwise I have to face the consequences. It was again very shocking and disbelieving for me to hear all this from him. I then came to my chamber and sent detailed report dated 17.07.2023 **(ANNEXURE-1)** to the Administrative Office seeking at least one month time to submit the inquiry report.

(iv) On receiving my report dated 17.07.2023 the District Judge Sir obtained an affidavit from the charged employee Sh. Jogender Singh on the same day (i.e. 17.07.2023) to the effect that the charged employee will cooperate in the inquiry proceedings and that his appointment at Bulandsahar Judgeship will be subject to outcome of the inquiry proceedings pending herein with request to relieve the charged employee immediately. Then District Judge Sir influenced Sh. Ifthekhar Ahmad, ADJ 1st /Officer-in-Charge, General Administration to submit report accordingly for relieving the charged employee from Balrampur Judgeship from back date of 28.06.2023. Sh. Ifthekhar Ahmad, ADJ 1st accordingly submitted report on the same day (i.e. 17.07.2023) which was accepted by the District Judge Sir by passing a totally illegal order dated 18.07.2023 **(ANNEXURE-2)** thereby relieving the charged employee Sh. Jogender Singh from his contractual service at Balrampur Judgeship from back date of 28.06.2023 (which was again illegal because service of any employee could not be terminated from back

Abhinitam upadhyay
23/12/2023

Self attested
Abhinitam upadhyay

date of about 20 days) and making his appointment at Bulandsahar Judgeship subject to the outcome of the inquiry proceeding being conducted here. The District Judge Sir had full knowledge that District Judge Bulandsahar (the Appointing Authority there) is not subordinate to District Judge Balrampur and therefore the charged employee Sh. Jogender Singh's appointment at Bulandsahar Judgeship could not be made subject to the outcome of pending inquiry at Balrampur even then he passed such illegal order only to extend undue benefit to the charged employee Sh. Jogender Singh on extraneous considerations. Thereafter the District Judge Sir passed endorsement order on 26.07.2023 (backdating it to 17.07.2023 as evident from the receiving endorsement dated 26.07.2023 by Sh. Prem Mishra, Reader of my Court) on my report dated 17.07.2023 granting one month time to conclude the inquiry as requested by me.

(v) The outcome of this generosity by the District Judge Sir was that the charged employee Sh. Jogender Singh immediately joined at Bulandsahar Judgeship and then never participated in the ongoing inquiry proceeding here at Balrampur due to which the inquiry proceeding had to be conducted ex-parte. The District Judge Sir continued to pressurize me to submit report in favour of the charged employee Sh. Jogender Singh otherwise I had to face various adverse consequences. The merit of the inquiry proceeding was against the charged employee Sh. Jogender Singh and thus I had submitted inquiry report dated 22.09.2023 against the charged employee Sh. Jogender Singh.

(vi) After submission of my inquiry report against the charged employee, the District Judge Sir had become very angry on me. He rebuked me in his chamber saying that though he will try his best to manage the things for Jogender Singh by talking to District Judge, Bulandsahar but if he could not manage that then I will have to pay heavy price for ignoring his diktat.

(2) I was nominated Chairman, Infrastructure Sub-Committee of Balrampur Judgeship by the then District Judge Sh. Lallu Singh. Soon after taking over charge as District Judge Balrampur Sh. Anil Kumar Jha inquired about the various ongoing projects here from me as well as Court Manager Sh. Piyush Mittal. He was apprised in detail about the ongoing projects. He then instructed that the contractors/project incharge/engineers of the construction agencies be tightened and threatened so that illegal demands may be made to them and they are coerced to fulfill them. I and Court Manager both initially took it lightly but gradually the District Judge Sir started making illegal demands with extreme pressure to anyhow fulfill those demands otherwise we (me and Court Manager) should be ready to face the adverse consequences. The District Judge Sir went even up to the extent of threatening that if his illegal demands will not be fulfilled then the District Judge Sir will ruin our carrier and threatened me specially to write adverse entry in my Annual Confidential Remarks. At times the demands were made by the District Judge Sir directly to the representatives of the construction agencies. The demands were also made by the District Judge Sir before other Officers and Staff of the Balrampur Judgeship. Following are some of his illegal demands -

Abhinitam upadhyay
23/12/2023

Self attested
Abhinitam upadhyay

(i) The District Judge Sir directed that two furnished one room set with toilet and kitchen be made between both the gates of the Session House so that his personal staff be accommodated in one and his security staff be accommodated in the other set. Apart from this, a large open garage for at least 05 vehicles as well as one *Gaushala* be constructed in the Session House. Further, a makeshift structure of plastic-shed be made on all sides of his main residence.

(ii) The District Judge Sir also demanded two 55 Inch or larger 4K HDMI Smart TVs, two double beds, two large sofa sets, one fridge and other household items for his personal use.

(iii) Budget was received in May 2023 for installation of 46 A.C.s in the chambers and court-rooms of District Judge and ADJs. The District Judge Sir demanded from the agency (PWD Electrical Division, Ayodhya) that a total of 50 A.C.s (46 official plus 04 unofficial for his personal use) be provided. The agency provided only 46 A.C.s as per schedule in the month of August 2023. Then the District Judge Sir very strictly coerced me and Court Manager both that 04 A.C.s be provided to him anyhow otherwise we have to face the dire consequences.

(iv) The District Judge Sir also demanded one Innova Crysta top model vehicle from the agency constructing 13 Type – IV residences for judicial officers saying that the total cost of the project is about 09 crore and that the District Judge Sir must be given at least one latest Innova Crysta vehicle by the construction agency because his cut rate is at least 10%.

(v) Faced with all such illegal demands and pressures from the District Judge Sir I submitted representation letter dated 27.06.2023 and reminder dated 18.08.2023 requesting him to nominate some other person as Chairman, Infrastructure Sub-Committee at my place but the District Judge Sir vide Administrative Order No. 258 Dated 29.08.2023 **(ANNEXURE-3)** rejected by aforesaid both representations on the ground that I am the second senior most ADJ posted here and that first senior most ADJ Sh. Iftekhar Ahmad is working as chairman/member of other various committees besides being Officer-in-Charge of General Administration and Central Public Information Officer. Therefore, it would be proper to continue me as Chairman, Infra Sub-Committee. However, the District Judge Sir orally threatened me that I will not be spared from his clutches and pressures and that I had to fulfill all his aforementioned demands and future demands if I want live in peace.

(vi) A review meeting was conducted by the Infra Sub-Committee on 01.09.2023 (minutes attached as **ANNEXURE-4**) wherein point wise recommendations were made by the Sub-Committee to District Judge for his approval. The District Judge Sir vide his order dated 05.09.2023 (mentioned on the last page of minutes) directed Chairman, Infra Sub-Committee to take necessary steps in respect of point no. 1, 2 & 3 at his end but purposefully left recommendations in respect of point no. 4 (which was related to ongoing repair work in Type - IV and Type - II residences). The District Judge Sir asked me go slow with the monitoring of repair work as it has potential to extract money and other benefits from the concerned agency. Due to not approval of recommendations at point no. 4 by District Judge Sir, no communication could be sent to the concerned agency for compliance of the recommendations.

Abhinitam Upadhyay
23/12/2023

Self attested
Abhinitam Upadhyay

(vii) One of the infrastructure work going on is construction of boundary wall around residential complex of District Judge and other Judicial Officers. In this regard, the District Judge Sir at first directed the Court Manager to seek report from PWD on specific two points indicating that construction agency had to do soil filling work also inside the boundary. Accordingly report was sought by Court Manager vide letter dated 20.09.2023. The reply of Ex. Engineer PWD dated 27.09.2023 stated that soil filling work is not included in the estimate. Even then, the District Judge Sir pressurized me and other members of Infra Sub-Committee to give report that soil filling work is included in the estimate. He further told me that he had already talked with somebody in High Court in this regard. In such circumstances, the Sub-Committee gave report dated 29.09.2023 (attached with enclosures as **ANNEXURE-5**) as per desire of the District Judge Sir who used this report to send his recommendations dated 06.10.2023 to Hon'ble High Court which was ultimately turned down by Hon'ble High Court vide Letter No. 1719/Infra. Cell, Allahabad dated 13.10.2023. All this tantrums had been adopted by the District Judge Sir with a view only to coerce and pressurize the construction agencies so that they may fall in line.

(viii) The Infra Sub-Committee held it's another review meeting on 07.11.2023 (minutes attached as **ANNEXURE-6**) wherein again point-wise recommendations were made to District Judge Sir for his approval. However, this time the District Judge Sir refused to approve the recommendations with written order dated 15.11.2023 (on the last page of the minutes) to the effect that the Infra Sub-Committee should issue instructions/directions at it's end to the concerned agencies. The real intention behind such order came to light when the District Judge Sir orally directed that he will not use his pen for anything related to infrastructure work but all his illegal demands must be complied with in any condition. On receiving the order dated 15.11.2023, another meeting of Infra Sub-Committee was held on 18.11.2023 (minutes attached as **ANNEXURE-7**) wherein the Sub-Committee unanimously requested the District Judge Sir to approve the recommendations in minutes dated 07.11.2023 (ANNEXURE-4) so that they could be complied with. District Judge Sir became furious on receiving the minutes dated 18.11.2023 and badly rebuked me using foul language in presence of other Judicial Officers and staff of judgeship with threat to teach me lessons while recording my Annual Remarks for 2023-24.

(ix) The District Judge Sir had now understood that he could not extract any undue advantage from any construction agency as long as I will remain Chairman of Infra Sub-Committee. So, taking advantage of the transfers effected by Hon'ble High Court vide Notification dated 18.11.2023, the District Judge Sir removed me and appointed Sh. Iftekhar Ahmad ADJ 1st as Chairman, Infra Sub-Committee vide Administrative Order No. 296/2023 dated 23.11.2023 even though all the circumstances were still present there on 23.11.2023 which were present while passing order dated 29.08.2023 (i.e. Sh. Iftekhar Ahmad ADJ 1st was still senior most ADJ being chairman/member of various committees as well as Officer-in-Charge of General Administration and Central Public Information Officer).

Abhimitam Upadhyay
23/12/2023

Self attested
Abhimitam Upadhyay

(x) After that it has come to my knowledge that on oral instructions of the District Judge Sir the ongoing construction works had been stopped. This has been so done with the sole intention to exert pressure on the concerned agencies to fulfill his illegal and improper demands.

(3) The District Judge Sir often threatens me and other Officers and staff of Balrampur Judgeship saying that he has a very long service and that he will soon be elevated as Hon'ble Judge of Allahabad High Court and then he will teach ample and revengeful lessons to those who will not act as per his wish and not fulfill his demands. All the Officers and staff of Balrampur Judgeship are well aware about the misdeeds of the District Judge Sir and are working under extreme duress and torturous conditions but are not willing to come forward for obvious reasons.

(4) In my carrier of over 17 years of judicial service, I have seen various kinds of District Judges, had worked with them, faced different kinds of pressures also but had never made any complaint against any District Judge or any other Judicial Officer. I am conscious of the fact that making complaint against sitting District Judge under whom one is currently working is not an easy task because District Judge being head of the District Judiciary had enormous powers being one man show to cause troubles and problems for anyone and thus this kind of extraordinary step should be taken only as a very exceptional measure when the situation had gone completely out of control. If any District Judge is to make any illegal demands and is to exert pressure tactics for fulfilling his illegal and improper demands then usually it is done in private. But it is very surprising for me to watch the audacity of the present District Judge Sir Sh. Anil Kumar Jha that he takes no care to keep his illegal activities in private rather he felt a sense of enjoyment in making his illegal demands openly in presence of other Judicial Officers and Staff and also used to extend threats and exert pressures on Judicial Officers (including myself) in presence of other Judicial Officers and Staff so that no one dares to avoid his illegal demands. In these circumstances, I am now constrained to make this complaint after facing intolerable harassment and torture inflicted by the District Judge Sh. Anil Kumar Jha who has crossed all thresholds of dignity and decorum of his office. I am ready to file affidavit and other evidence in support of this complaint as and when required. I had not mentioned names of other Judicial Officers and Staff in whose presence illegal demands were made by Sh. Anil Kumar Jha and also pressures and threats were extended by him to me for obvious reasons. I am ready to disclose those names before the inquiry authority, if any, constituted to inquire the matter.

It is, therefore, most humbly prayed that the aforesaid facts may be inquired into and proper and effective action may be taken against Sh. Anil Kumar Jha, the present District Judge Balrampur and for this purpose this complaint may be put up before Hon'ble Court for kind consideration.

Encl: As above
Dated: 23.12.2023.

Yours Sincerely
Abhinitam Upadhyay
Abhinitam Upadhyay 23/12/2023
(JO CODE – UP06192)
Additional District and Sessions Judge, Balrampur.

Self attested
Abhinitam Upadhyay

ANNEXURE-1

प्रेषक,

अभिनितम उपाध्याय
जांच अधिकारी/अपर जनपद न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0) एक्ट,
बलरामपुर

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
बलरामपुर।

विषयः– अंतिम जांच संख्या–09/2023 विरूद्ध श्री जोगेन्द्र सिंह के सम्बन्ध में माननीय महोदय द्वारा प्रेषित पत्रांक 809 दिनांकित 14.07.2023 के आलोक में आख्या।

महोदय,

उपरोक्त के संदर्भ में सादर अवगत कराना है कि अंतिम जांच सख्या–09/2023 विरूद्ध श्री जोगेन्द्र सिंह की कार्यवाही में मेरे द्वारा आरोपी कर्मचारी के विरूद्ध निर्मित आरोप प्रारूप दिनांकित 19.05.2023 को माननीय महोदय द्वारा आदेश दिनांकित 20.05.2023 से स्वीकृत किया गया। दिनांक 20.05.2023 को ही आरोप प्रारूप की प्रति सुंसगत प्रपत्रों सहित आरोपी कर्मचारी को प्राप्त करा दी गयी। आरोपी कर्मचारी द्वारा दिनांक 19.06.2023 को लिखित कथन दाखिल किया गया। तदुपरांत दिनांक 21.06.2023 को आरोप पत्र में नामित साक्षी श्री विजय शंकर लाल, प्रशासनिक अधिकारी जनपद न्यायालय बलरामपुर का साक्ष्य ई0डब्लू0–1 के रूप में दर्ज किया गया। आरोपी कर्मचारी के लिखित कथन एवं ई0डब्लू0–1 के साक्ष्य के आलोक में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, द्रुतगामी न्यायालय–द्वितीय, बलरामपुर में तत्समय कार्यरत लिपिकगण श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव एवं श्री रवीश सिंह का साक्ष्य कराया जाना आवश्यकत प्रतीत हुआ। अतः उक्त दोनों साक्षीगण को आदेश दिनांक 21.06.2023 से साक्ष्य हेतु तलब किया गया। उक्त दोनों साक्षीगण अब सेवा से हटाए जा चुके हैं। अतः कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध उनके पते पर नोटिस प्रेषित किया गया। दिनांक 04.07.2023 को माननीय महोदय द्वारा पारित पृष्ठांकन आदेश की प्रति मुझे प्राप्त हुई, जिसे पत्रावली में शामिल करते हुए त्वरित निस्तारण का प्रयास किये जाने का आदेश जांच पत्रावली के आदेश–पत्रक पर किया गया। दिनांक 10.07.2023 से दिनांक 14.07.2023 तक न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में प्रशिक्षणरत होने के कारण दिनांक 12.07.2023 को जांच कार्यवाही में नियत तिथि में कोई भी कार्यवाही नहीं हो पायी। अगली तिथि 20.07.2023 नियत है। माननीय महोदय द्वारा प्रेषित उक्त पत्रांक 809 दिनांकित 14.07.2023 मुझे आज दिनांक 17.07.2023 को

Self attested
Abhinitam Upadhyay

प्राप्त हुई है जिसमें जांच आख्या प्रेषित नहीं किये जाने को अत्यंत आपत्तिजनक होना वर्णित किया गया है तथा 03 दिन के अन्दर जांच आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्नगत जांच कार्यवाही में आरोपी कर्मचारी के विरूद्ध लगाए गए आरोप काफी गंभीर प्रकृति के तथा विस्तृत हैं। आरोपी कर्मचारी पर 09 प्रकार के अलग–अलग आरोप लगाए गए हैं, जिनमें पत्रावलियों में आदेश–पत्रक नहीं लिखना, पत्रावलियों को समय के अनुरूप दाखिल दफ्तर नहीं किया जाना, पत्रावलियों को प्रसंज्ञान लेने हेतु पीठासीन अधिकारी के समक्ष नहीं प्रस्तुत करना, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली समय से नहीं वापस करना, पत्रावलियों में सम्बन्धित अभिलेख नहीं शामिल करना तथा प्रतिलिपि प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण हेतु समय से अभिलेख नहीं प्रेषित करना शामिल है। अतः इस जांच कार्यवाही में तत्कालीन अभिलेखपाल सहित कई अन्य साक्षीगण का साक्ष्य दर्ज किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए कम से कम एक माह के अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आरोपी कर्मचारी द्वारा अपने लिखित कथन में दूसरे कर्मचारीगण पर समस्त जिम्मेदारी डाली गयी है। मेरे द्वारा उक्त जांच कार्यवाही के त्वरित निस्तारण का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है।

अतः उक्त परिस्थितियों के आलोक में माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि अंतिम जांच संख्या–09/2023 को सुचारू रूप से निस्तारित करने हेतु कम से कम एक माह का अतिरिक्त समय प्रदान किए जाने की कृपा करें। एक माह के उपरांत अतिरिक्त समय की आवश्यकता होने पर तदनुसार अनुरोध किया जाएगा।

सादर!

भवदीय,

Abhinitam Upadhyay
17.07.2023

दिनांक–17.07.2023

(अभिनितम उपाध्याय)
जांच अधिकारी/अपर जनपद न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0) एक्ट,
बलरामपुर।

Order

Granted 01 month time.

D.J.
17/07/2023

Learn. K.O.T
on 26.07.2023 at 04:30 P.M.

श्रीमानजी,
यह आदेश दिनांक 26.07.2023 को 4.30pm पर प्रशासनिक कार्यालय द्वारा इस न्यायालय (Spl.J NDPS) में प्राप्त कराया गया।

(प्रेम कुमार मिश्र)
शोध

Self attested
Abhinitam Upadhyay

ANNEXURE-2

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
बलरामपुर।

महोदय,

श्री जोगेन्द्र सिंह, मुंसरिम (नियत वेतनमान) न्यायालय सिविल जज (सी0डि0)/एफ0टी0सी0/ए0सी0जे0एम0, बलरामपुर द्वारा दिनांक 01.07.2023 को जरिये ई–मेल इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी माननीय महोदय की अनुमति प्राप्त कर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित The Uttar Pradesh Civil Court Staff Centralized Recruitment 2022-2023 परीक्षा में सम्मिलित हुआ था। The Uttar Pradesh Civil Court Staff Centralized Recruitment 2022-2023 परीक्षा में प्रार्थी का चयन Stenographer Grade-III के पद पर जनपद न्यायालय बुलन्दशहर में हो गया है, जिसकी सभी प्रकियायें पूर्ण हो चुकी है तथा प्रार्थी को नियुक्ति पत्र भी दिनांक 08.06.2023 को प्राप्त हो चुका है। नियुक्ति पत्र के अनुसार प्रार्थी को नियुक्ति पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कार्यभार ग्रहण किया जाना है। अतः प्रार्थी का त्याग पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थी को सेवामुक्त करने की कृपा करें। श्री जोगेन्द्र सिंह, मुंसरिम (नियत वेतनमान) द्वारा दिनांक 14.07.2023 को जरिये ई–मेल पुनः एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया कि त्याग पत्र स्वीकृत न होने के कारण प्रार्थी निर्धारित अवधि में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं कर सका था तथा माननीय जनपद न्यायाधीश बुलन्दशहर से अनुरोध किये जाने पर माननीय महोदय द्वारा अन्तिम अवसर के रूप में दिनांक 07.07.2023 को अन्तिम अवसर के रूप में 15 दिवस का समय प्रदान किया है। प्रार्थी द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि प्रार्थी के उज्जवल भविष्य को दृष्टिगत रखतें हुए प्रार्थी का त्याग पत्र दिनांक 28.06.2023 से स्वीकार करते हुए प्रार्थी को कार्यमुक्त करने की कृपा करें। प्रार्थी द्वारा प्रेषित उक्त प्रार्थना पत्र के परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी की आख्या आहूत की गयी है।

उक्त के परिप्रक्ष्य में मेरे द्वारा प्रशासनिक अधिकारी की आख्या प्राप्त की गयी। प्रशासनिक अधिकारी की आख्या के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा "The Uttar Pradesh Fast Track Court/Additional Court & Contractual ICT Posts Recruitment 2017" के अन्तर्गत संविदा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के Service Agreement के मुख्य उद्वरण निम्नवत है–

1. Job responsibilities of contractual employee:

You are engaged in the capacity of designated Post and your duties and responsibilities shall be such as prescribed by the appointing authority at his sole discretion from time to time.

2. Medical Fitness:

The engagement shall be subject to your physical and mental fitness. If at any stage it is found by the competent medical authority that you are not physically or mentally fit, your contract and service shall be terminated.

3. Leave:

You will be eligible for one day CL for every month of completed service. CL can not be taken for more than three days at a time. However, before proceeding on leave, prior sanction/ approval of the appointing authority is required. In case under unforeseen circumstances prior approval is not possible, immediate information through email, S.M.S/Electronic message or telephone will be required to be given to the appointing authority. In case you fail to do so, appointing authority will have the right to take action against you as per discretion of the appointing authority. You shall not be entitled to any Winter/Summer Vacation and Medical Leave.

4. Relinquishing Services :

In case you absent yourself from duty continuously for 7 days or more without prior notice/intimation or leave, you shall be deemed to have left and relinquished the services on your own accord and such relinquishment of services shall be deemed as repudiation of the contract of employment by you.

5. Termination / Relieving: During the contract period, you can revoke the contract by giving 14 days prior notice to the appointing authority.

6. Other General Terms of Employment:

Self attested
Abhishek ... upadhyay

ANNEXURE-3

(i) Your contractual service will not confer any right to claim further employment in the establishment.

(ii) During the course of your employment, you will be required to follow and maintain proper decorum as is required of a responsible employee in a Government Organization. You shall wear sober formal dress/prescribed uniform while on duty.

प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में यह भी उल्लेख किया है कि उक्त कर्मचारी के विरूद्व शासकीय देयता के सम्बन्ध में केन्द्रीय नाजिर, लेखा लिपिक, पुस्तकालय अनुभाग तथा सिस्टम ऑफीसर केन्द्रीय कम्प्यूटर कक्ष व सम्बन्धित न्यायालय से आख्या प्राप्त की गयी। उक्त समस्त अनुभाग/न्यायालय से प्राप्त आख्या के अनुसार उनके विरुद्व किसी प्रकार की शासकीय देयता नहीं है, परन्तु उक्त कर्मचारी के विरूद्व वर्तमान में विभागीय जांच 09/2023 लम्बित है।

मेरे द्वारा प्रशासनिक अधिकारी की आख्या तथा माननीय उच्च न्यायालय से संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी के Service Agreement का सम्यक परिशीलन किया गया। उक्त Service Agreement के पैरा 5 का सम्यक परिशीलन किया गया जिसमें यह उल्लेख है कि संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी 14 दिन की पूर्व सूचना देकर संविदा का प्रतिसंहरण (**Revoke**) कर सकता है। श्री जोगेन्द्र सिंह, मुंसरिम (नियत वेतनमान) न्यायालय सिविल जज (सी0डि0)/एफ0टी0सी0/ए0सी0जे0एम0, बलरामपुर द्वारा दिनांक 01.07.2023 को त्याग पत्र प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उनके द्वारा दिनांक 28.06.2023 से त्याग पत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है। इस प्रकार उनके द्वारा त्याग पत्र की सूचना देने की तिथि से 14 दिन दिनांक 14.07.2023 को पूर्ण हो चुकी है। परन्तु उक्त कर्मचारी के विरूद्व वर्तमान में विभागीय जांच 09/2023 लम्बित है।

श्री जोगेन्द्र सिंह, मुंसरिम (नियत वेतनमान) द्वारा दिनांक 17.07.2023 को उक्त के सम्बन्ध में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त शपथ पत्र के पैरा 06, यह उल्लेख किया है कि प्रार्थी के विरूद्व लम्बित अंतिम जांच संख्या–09/2023 के निस्तारण में प्रार्थी पूर्ण सहयोग करेगा एवं जांच अधिकारी अथवा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के बुलाए जाने पर प्रार्थी उपस्थित आयेगा।

अतः श्री जोगेन्द्र सिंह, मुंसरिम (नियत वेतनमान) द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के पैरा 06 में दिये गये अण्डरटेकिंग के आधार पर इस शर्त के अधीन ***"कि प्रार्थी अंतिम जांच संख्या–09/2023 के निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा एवं जांच अधिकारी अथवा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के बुलाए जाने पर प्रार्थी उपस्थित आयेगा तथा उसकी जनपद बुलन्दशहर में नियुक्ति उक्त जांच के अन्तिम परिणाम के अधीन होगी"*** त्याग पत्र प्रार्थना पत्र के आधार पर उनकी संविदा दिनांक 28.06.2023 के अपराह्न से समाप्त किया जाना उचित होगा।

तदनुसार श्री जोगेन्द्र सिंह, मुंसरिम (नियत वेतनमान), द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र प्रार्थना पत्र के आधार पर उनकी संविदा दिनांक 28.06.2023 के अपराह्न से समाप्त किये जाने की संस्तुति की जाती है।

आख्या श्रीमान् जी के समक्ष सादर प्रस्तुत है।

17/07/23

(इफ्तेखार अहमद)
प्रभारी अधिकारी
सामान्य प्रशासन/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम
बलरामपुर।

आदेश

अवलोकित। प्रभारी अधिकारी सामान्य प्रशासन/अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम बलरामपुर की आख्या के आलोक में प्रार्थी श्री जोगेन्द्र सिंह, मुंसरिम (नियत वेतनमान) न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) / एफ0टी0सी0/ए0सी0जे0एम0, बलरामपुर का त्याग पत्र इस शर्त के अधीन स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी अंतिम जांच संख्या–09/2023 के निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा एवं जांच अधिकारी के बुलाए जाने पर उपस्थित आयेगा एवं उसकी जनपद बुलन्दशहर में नियुक्ति उक्त जांच के अन्तिम परिणाम के अधीन होगी। तदनुसार प्रार्थी के त्याग पत्र प्रार्थना पत्र के आधार पर उनकी संविदा दिनांक 28.06.2023 के अपराह्न से समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति जनपद न्यायाधीश, बुलन्दशहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

तदनुसार समस्त सम्बन्धित सूचित हो।

18/7/2023

जनपद न्यायाधीश
बलरामपुर

Self attested

ANNEXURE-3

R
29/8/2023
2.30 PM

कार्यालय, जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर

प्रशासनिक आदेश क्रमांक-258 दिनांक- 29.08.2023

आदेश

श्री अभिनितम उपाध्याय, अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एन०डी०पी०एस०एक्ट) द्वारा दिनांक 27.06.2023 को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया कि प्रशासनिक आदेश क्रमांक 17/2023 दिनांकित 29.04.2023 से मुझे आधारभूत संरचना उप समिति का अध्यक्ष नामित किया गया था। कुछ अपरिहार्य कारण वश मैं आधारभूत संरचना उप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का इच्छुक नहीं हूँ, अतः आधारभूत संरचना उपसमिति के अध्यक्ष के रूप में किसी अन्य न्यायिक अधिकारी को नामित करने की कृपा करें। उक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 18.08.2023 को उक्त के परिप्रेक्ष्य में पुनः प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया।

उल्लेखनीय है कि जनपद न्यायालय बलरामपुर हेतु ए डी जे-कैडर के 08 स्वीकृत न्यायालय के सापेक्ष वर्तमान में 04 ही न्यायिक अधिकारी नियुक्त हैं। प्रशासनिक कार्यों के सुगमता से संचालन हेतु मा० उच्च न्यायलय अथवा शासन से निर्गत सर्कुलर/शासनादेश के आलोक में समय-समय पर विभिन्न समितियों का गठन करते हुए अपर जनपद न्यायाधीश स्तर के उपलब्ध अधिकारियों को अध्यक्ष/सदस्य नामित किया गया। मा० उच्च न्यायालय के पत्र सं० -292/infra Cell: Allahabad dated 20.03.2021 में अध्यक्ष के रूप में Senior Additional District Judge (Not necessarily ADJ- Ist) को नामित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

श्री इफ्तेखार अहमद वर्तमान में इस अधिष्ठान के वरिष्ठतम अपर जनपद एव सत्र न्यायाधीश हैं, इसी कारण श्री इफ्तेखार अहमद को विभिन्न समितियों के अध्यक्ष / सदस्य के रूप में नामित किया गया है तथा वरिष्ठतम ए॰डी॰जे॰ होने के कारण प्रभारी अधिकारी सामान्य प्रशासन व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी का भी अतिरिक्त प्रभार है।

श्री इफ्तेखार अहमद के बाद श्री अभिनितम उपाध्याय ही इस अधिष्ठान के वरिष्ठ अपर जनपद न्यायाधीश हैं। संभवतः मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय के उक्त पत्र के अनुपालन में श्री अभिनितम उपाध्याय को इन्फ्रा कमेटी का अध्यक्ष नामित किया गया था।

श्री अभिनितम उपाध्याय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस० एक्ट) बलरामपुर ए डी जे- प्रथम के बाद वरिष्ठ अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश हैं। अतः मेरी राय में श्री अभिनितम उपाध्याय को आधारभूत संरचना उपसमिति, जनपद न्यायालय, बलरामपुर के अध्यक्ष पद पर बनाए रखना उचित होगा।

तदनुसार श्री अभिनितम उपाध्याय ए डी जे/स्पेशल जज (एन डी पी एस एक्ट) द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांकित 27.06.2023 व 18.08.2023 निस्तारित किया जाता है।

तदनुसार सम्बन्धित सूचित हों।

29/8/2023
(अनिल कुमार झा)
जनपद न्यायाधीश
बलरामपुर।

दिनांक-

Self attested
Abhinitam upadhyay

ANNEXURE-4

आधारभूत संरचना उपसमिति जनपद न्यायालय बलरामपुर की दिनांक 01/09/2023 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

माननीय जनपद न्यायाधीश बलरामपुर के प्रशासनिक आदेश संख्या – 259/2023 दिनांक 30.08.2023 से जनपद न्यायालय बलरामपुर में वर्तमान में चल रहे निर्माण कार्य /लघु निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य हेतु स्वीकृत धनराशी के सापेक्ष संबंधित एजेंसी द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा कर प्रगति आख्या अविलंब आहूत की गई। तदनुसार दिनांक 01.09.2023 को अपराह्न 01.30 बजे अध्यक्ष, आधारभूत संरचना उपसमिति जनपद न्यायालय बलरामपुर के विश्राम कक्ष में समीक्षा बैठक आहूत की गई तथा सभी कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि को दिनांक 01.09.2023 को आयोजित होने वाली समीक्षा बैठक में भाग लेने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में आधारभूत संरचना उपसमिति के अध्यक्ष के अतिरिक्त श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, सिविल जज प्रवर खण्ड/सदस्य, श्री पीयूष मित्तल, न्यायालय प्रबंधक/सदस्य, श्री अनिल कुमार, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग बलरामपुर, श्री योगेश चौहान, सहायक परियोजना प्रबंधक, उ०प्र० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि० यूनिट – 22 बहराइच, श्री प्रणय कुमार त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता, उ०प्र० सहकारी संघ लि० गोण्डा तथा श्री अमितेश कुमार,सहायक अभियंता, उ०प्र० लोकनिर्माण विभाग विद्युत इकाई अयोध्या उपस्थित रहे।

सुश्री अक्षिता मिश्रा सिविल जज, अवर खण्ड/सदस्य अवकाश पर होने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं रही। बैठक में जनपद न्यायालय में चल रहे सभी निर्माण/लघु निर्माण/मरम्मत कार्य की समीक्षा की गई जिसका विवरण निम्न है –

(1)– न्यायालय आवसीय परिसर में श्रेणी – V के 13 नए आवास का निर्माण कार्य –

(i) यह निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था उ०प्र० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि० यूनिट – 22 बहराइच के द्वारा कराया जा रहा है। उक्त कार्यदायी संस्था के सहायक परियोजना प्रबंधक श्री योगेश चौहान द्वारा लिखित प्रगति आख्या दिनांकित 31.08.2023 **(छायाप्रति संलग्नक – 1)** प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार उक्त निर्माण कार्य में कुल स्वीकृत धनराशी 897.69 लाख रूपये है जिसमें से संपूर्ण धनराशी अवमुक्त की जा चुकी है। कार्य माह अप्रैल 2022 में प्रारम्भ हुआ है। अबतक प्रथम ब्लाक सात आवासों के स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण हो चुका है। आंतरिक विद्युतीकरण, प्लबिंग, प्लास्टर एवं पूट्टी का कार्य प्रगति पर है। द्वितीय ब्लाक के छः आवास के स्ट्रक्चर का कार्य भी पूर्ण हो गया है। तृतीय तल पर ब्रिक वर्क प्रगति पर है! कार्य की वित्तीय प्रगति 55 प्रतिशत है तथा भौतिक प्रगति भी 55 प्रतिशत है।

(ii) न्यायालय प्रबंधक द्वारा बताया गया कि लोक निर्माण विभाग बलरामपुर द्वारा उक्त कार्य के संबंध में भौतिक एवं गुणवत्ता जांच आख्या पत्र संख्या 1291 दिनांकित 17.08.2023 **(छायाप्रति संलग्नक – 2)** प्रेषित की गई जिसके अनुसार निर्माण कार्य लगभग 52 प्रतिशत पूर्ण है तथा गुणवत्ता

01.09.2023

Abhinitam upadhyay
01.09.2023

Self attested
Abhinitam upadhyay

संतोषजनक है। इसके अतिरिक्त कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबंधक द्वारा पत्रांक 701 दिनांकित 28.08.2023 से निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट **(छायाप्रति संलग्नक – 3)** प्रेषित की गई। उक्त तृतीय पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट में क्रमांक 10 पर 17 बिंदुओं पर छोटी–बड़ी कमियां बताई गई है जिसके संबंध में 13 बिंदुओं पर सुझाव भी दिए गए है। तृतीय पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट में निर्माण कार्य की वित्तीय प्रगति 42 प्रतिशत दर्शित की गई है। इस संबंध में कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मूल्यांकन दिनांक 21.07.2023 को किया गया इसलिए वित्तीय प्रगति प्रतिशत में भिन्नता है।

(iii) उक्त परिस्थितियों के आलोक में यदि माननीय जनपद न्यायाधीश बलरामपुर की अनुमति हो तो कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जा सकता है कि वे तृतीय पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट **(संलग्नक – 3)** तथा लोक निर्माण विभाग बलरामपुर द्वारा प्रस्तुत भौतिक एवं गुणवत्ता जांच रिपोर्ट **(संलग्नक – 2)** के आलोक में अपनी आख्या/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

(2)– न्यायालय आवसीय परिसर के चारो तरफ चाहरदिवारी निर्माण कार्य –

(i) उक्त निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था उ०प्र० सहकारी संघ लि० गोण्डा द्वारा किया जा रहा है जिसके प्रतिनिधि के द्वारा आज प्रगति आख्या दिनांकित 31.08.2023 **(छायाप्रति संलग्नक – 4)** प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार निर्माण कार्य की स्वीकृत लागत 414.77 लाख रूपये है जिसमें से समस्त धनराशी अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त निर्माण कार्य माह दिसंबर 2022 में शुरू हुआ जिसकी वित्तीय प्रगति 55 प्रतिशत है तथा भौतिक प्रगति 60 प्रतिशत है। अबतक कुल 1366 रनिंग मीटर चाहरदिवारी में से 950 रनिंग मीटर कालम फुटिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। ग्रेड बीम का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। 600 रनिंग मीटर स्ट्रक्चर का कार्य भी पूर्ण हो चुका है जबकि ग्रिल एवं प्लास्टर कार्य प्रगति पर है।

(ii) न्यायालय प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि इस निर्माण कार्य की भौतिक एवं गुणवत्ता जांच के संबंध में अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बलरामपुर द्वारा रिपोर्ट पत्र संख्या 1292 दिनांकित 17.08.2023 **(छायाप्रति संलग्नक – 5)** प्रस्तुत की गई जिसके अवलोकन से विदित है कि कार्य स्थल पर निर्माण कार्य बंद है। कार्य लगभग 54 प्रतिशत तक पूर्ण है। कराए गए कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक है। लगाए गए ग्रिल पर अविलंब प्राइमर कोट लगाए जाने की अनुशंसा की गई है।

(iii) बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा कथन किया गया कि पूर्व में प्राप्त धनराशी खर्च हो चुकी थी। अवशेष धनराशी कार्यदायी संस्था को माह जुलाई 2023 में ही प्राप्त हुई। साथ ही माह जुलाई एवं अगस्त 2023 में बरसात के कारण भी कार्य बाधित रहा। अतिशीघ्र कार्य शुरू करा दिया जाएगा।

(iv) उक्त परिस्थितियों के आलोक में यदि माननीय जनपद न्यायाधीश बलरामपुर की अनुमति हो

01.09.2023

Abhinitam Upadhyay
01.09.2023

Self attested
Abhinitam Upadhyay

तो कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जा सकता है कि वे आगणन के अनुसार यथाशीघ्र कार्य पूर्ण कराए तथा निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग बलरामपुर को भी निर्देशित किया जा सकता है कि चल रहे निर्माण कार्य की भौतिक एवं गुणवत्ता जांच इस संबंध में स्वीकृत आगणन के आलोक में कर अपनी आख्या प्रेषित करें।

(3)– नवीन न्यायालय परिसर स्थित न्यायालय कक्ष एवं विश्राम कक्ष में एयर कंडिशनर स्थापित करने का कार्य –

(i) यह कार्य कार्यदायी संस्था उ०प्र० लोकनिर्माण विभाग (विद्युत इकाई), अयोध्या द्वारा की जा रही है। कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि न्यायालय विश्राम कक्ष में कुल 10 एयर कंडिशनर 1.5 टन टाटा वोल्टास तथा न्यायालय कक्ष में कुल 36 एयर कंडिशनर 2.0 टन टाटा वोल्टास लगाया जाना है। उक्त सभी 46 एयर कंडिशनर न्यायालय परिसर में आ गए है और केन्द्रीय नाजिर जनपद न्यायालय बलरामपुर को प्राप्त कराए जा चुके है। एयर कंडिशनर न्यायालय कक्ष/विश्राम कक्ष में स्थापित करने का कार्य चल रहा है।

(ii) इस संबंध में श्री ओम प्रकाश, केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, बलरामपुर द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांकित 31.08.2023 **(छायाप्रति संलग्नक – 6)** से सूचित किया गया है कि केन्द्रीय नाजिर द्वारा दिनांक 18.08.2023 को 36 एयर कंडिशनर 2.0 टन टाटा वोल्टास तथा 10 एयर कंडिशनर 1.5 टन टाटा वोल्टास कार्यदायी संस्था से प्राप्त किया गया था जिसमें से 1.5 टन टाटा वोल्टास के 9 एयर कंडिशनर विश्राम कक्षों में तथा 2.0 टन के 33 एयर कंडिशनर न्यायालय कक्ष में लगाए जा चुके है। शेष एयर कंडिशनर लगाने का कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त अभी पाइप वायरिंग व बिजली वायरिंग का काम भी चल रहा है।

(iii) कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि उक्त कार्य को यथाशीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए आगणन के अनुरूप पूर्ण किया जाए।

(4)– पुराने न्यायालय परिसर तहसील कंपाउंड बलरामपुर में स्थित श्रेणी – IV के 4 आवास तथा श्रेणी – II के 12 आवास का मरम्मत कार्य –

(i) यह कार्य निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग बलरामपुर द्वारा किया जा रहा है। कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि रक्षाबंधन के त्यौहार तथा अल्प समय की सूचना होने के कारण उनके द्वारा प्रगति आख्या तैयार नहीं कराई जा सकी है। कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा आशवस्त किया गया कि जल्द ही उनके द्वारा प्रगति आख्या प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ii) न्यायालय प्रबंधक द्वारा सूचित किया गया कि कार्यदायी संस्था को पूर्व में पत्रांक 746 दिनांकित 26.06.2023 **(छायाप्रति संलग्नक – 7)** से विनिर्दिष्ट बिंदुओं पर सूचना आहूत की गई थी जिसके प्रति उत्तर में श्री अनिल कुमार, अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,

01.09.2023

Abhinandan Upadhyay 01.09.2023

Self attested
Abhinandan Upadhyay

बलरामपुर द्वारा पत्र दिनांकित 06.07.2023 से सूचना प्रेषित की गई थी परन्तु वह सूचना अपूर्ण थी। इस बात की जानकारी कार्यदायी संस्था को मौखिक रूप से दी गई थी। इस संबंध में कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा कथन किया गया कि वे अपनी प्रगति आख्या में सभी वांछित सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध कराएंगे।

(iii) न्यायालय प्रबंधक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जिन सरकारी आवासों (श्रेणी – IV के 4 आवास तथा श्रेणी – II के 12 आवास) में मरम्मत का कार्य होना था उनमें कार्य के बाबत संबंधित आवासों में अध्यासित अधिकारी / कर्मचारीगण से आवास में किए गए मरम्मत कार्य के बाबत लिखित सूचना मंगाई गई थी, जो प्राप्त हो चुकी है। प्राप्त सूचना के अनुसार मरम्मत कार्य अभी भी अपूर्ण है तथा कराए गए कार्य में भी काफी त्रूटियाँ है।

(iv) उक्त परिस्थितियों में यदि माननीय जनपद न्यायाधीश बलरामपुर की अनुमति हो तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा प्रदत्त लिखित सूचना की प्रति कार्यदायी संस्था को प्रेषित कर इस संबंध में सत्यापन के साथ आख्या प्रेषित करने हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जा सकता है।

माननीय जनपद न्यायाधीश बलरामपुर द्वारा पारित प्रशासनिक आदेश संख्या – 259/2023 दिनांक 30.08.2023 के अनुपालन में प्रगति आख्या इस कार्यवृत्त के रूप में माननीय जनपद न्यायाधीश बलरामपुर को सादर प्रेषित की जाए।

[signature]	[signature] 01.09.2023	Abhinitam upadhyay 1.09.2023
(पीयुष मित्तल)	(ज्ञानेन्द्र कुमार)	(अभिनितम उपाध्याय)
न्यायालय प्रबंधक/सदस्य	सिविल जज (प्रवर खण्ड) / सदस्य	अपर जनपद न्यायाधीश/
आधारभूत संरचना उपसमिति	आधारभूत संरचना उपसमिति	अध्यक्ष आधारभूत संरचना उपसमिति
जनपद न्यायालय, बलरामपुर।	जनपद न्यायालय, बलरामपुर।	जनपद न्यायालय, बलरामपुर।

Order

Seen. Chairman Infra sub-Committee District Court is directed to take necessary steps in respect of Point No 1, 2 & 3 at ~~your~~ his end.

[signature]
D.J.
5/9/2023

Self attested
Abhinitam upadhyay

ANNEXURE-5

आधारभूत संरचना उपसमिति जनपद न्यायालय बलरामपुर की दिनांक 29.09.2023 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 01.09.2023 को हुई आधारभूत संरचना उपसमिति जनपद न्यायालय बलरामपुर की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त माननीय जनपद न्यायाधीश बलरामपुर को प्रेषित किया गया जिस पर माननीय जनपद न्यायाधीश बलरामपुर द्वारा पारित पृष्ठांकन आदेश दिनांकित 05.09.2023 से बिंदु संख्या 1, 2 एवं 3 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। कार्यवृत्त का बिंदु संख्या 2 न्यायालय आवसीय परिसर के चारो तरफ चहारदिवारी निर्माण कार्य से संबंधित है। इस संबंध में अध्यक्ष आधारभूत संरचना उपसमिति, जनपद न्यायालय बलरामपुर द्वारा पत्रांक 1002 दिनांकित 13.09.2023 अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बलरामपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। उक्त पत्र के ही अनुक्रम में ही माननीय जनपद न्यायाधीश बलरामपुर द्वारा न्यायालय प्रबंधक श्री पियुष मित्तल को निर्देशित किया गया कि चहारदिवारी निर्माण कार्य के स्वीकृत आगणन के आलोक में अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बलरामपुर से निम्न बिंदुओं पर आख्या मंगाई जाए – **1.** स्वीकृत आगणन में निर्माण कार्य के स्थालाकृतिक सर्वेक्षण (Topographical Survey) मानचित्र भी उपलब्ध है जिसके अनुसार क्या संपूर्ण चहारदिवारी का प्लिंथ लेवल बलरामपुर – गोण्डा मुख्य मार्ग के बराबर का है तथा क्या बलरामपुर – गोण्डा मुख्य मार्ग की ऊचांई तक प्लिंथ लेवल मानकर चहारदिवारी के अंदर के संपूर्ण खाली क्षेत्र में प्लिंथ लेवल तक मिट्टी भराई का कार्य भी कार्यदायी संस्था द्वारा इसी स्वीकृत धनराशी में किया जाना शामिल है। **2.** क्या बलरामपुर–गोण्डा मुख्य मार्ग की ऊचांई तक प्लिंथ लेवल मानकर उसके ऊपर चहारदिवारी की ऊचांई 2400mm की दिवाल + 1200mm का ग्रिल + 750mm का भाला बनाया जाना है। तदनुसार न्यायालय प्रबंधक, जनपद न्यायालय बलरामपुर द्वारा पत्रांक 1039 दिनांकित 20.09.2023 **(संलग्नक – 1)** प्रेषित कर अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बलरामपुर से उक्त दो बिंदुओं पर आख्या आहूत की गई।

उक्त पत्र के प्रतिउत्तर में अधिशासी अभियंता द्वारा न्यायालय प्रबंधक , जनपद न्यायालय बलरामपुर को संबोधित पत्र संख्या 1531/1सी दिनांकित 27.09.2023 **(संलग्नक – 2)** प्रेषित किया गया, जिसमें उपरोक्त दो बिंदुओं के बाबत बिंदुवार आख्या की गई। **बिंदु संख्या 1** के संबंध में अधिशासी अभियंता द्वारा यह आख्या दी गई कि न्यायालय आवसीय परिसर के चारो तरफ चहारदिवारी निर्माण कार्य के स्वीकृत आगणन में चहारदिवारी के क्रास सेक्शन एवं विस्तृत माप के अनुसार संपूर्ण चहारदिवारी का प्लिंथ लेवल भूमितल से 450 एम०एम० उचांई पर अपनाया गया है। संपूर्ण चहारदिवारी का प्लिंथ लेवल बलरामपुर गोण्डा मुख्य मार्ग के बराबर का कोई उल्लेख नहीं है। चहारदिवारी के अंदर संपूर्ण खाली क्षेत्र में प्लिंथ लेवल तक मिट्टी भराई का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा इसी स्वीकृत धनराशी में किया जाना शामिल नहीं है। संलग्न टोपोग्राफिकल सर्वे शीट के अनुसार गोण्डा बलरामपुर मुख्य मार्ग के लेविल से भूमि का लेविल औसत लगभग 80 से०मी० नीचा है। **बिंदु संख्या 2** के संबंध में अधिशासी अभियंता द्वारा यह आख्या दी गई कि भूमितल से 450 एम०एम० उचांई तक प्लिंथ लेवल मानकर उसके ऊपर चहारदिवारी 2400 एम०एम० की दीवाल + 1200 एम०एम० का ग्रिल + 750 एम०एम० का भाला बनाया जाना स्वीकृत आगणन में सम्मिलित है।

Abhimitanu upadhyay

Self attested
Abhimitanu upadhyay

माननीय जनपद न्यायाधीश बलरामपुर द्वारा न्यायालय प्रबंधक को दिए गए दिशा–निर्देश के अनुक्रम में अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बलरामपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांकित 27.09.2023 **(संलग्नक – 2)** का अवलोकन करते हुए उपसमिति द्वारा चहारदिवारी निर्माण कार्य के स्वीकृत आगणन पर विचार किया गया। इस हेतु आज दिनांक 29.09.2023 को उपसमिति की बैठक अध्यक्ष आधारभूत संरचना उपसमिति, जनपद न्यायालय बलरामपुर के विश्राम कक्ष में दोपहर 1.30 बजे संपन्न हुई जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, सिविल जज प्रवर खण्ड/सदस्य, सुश्री अक्षिता मिश्रा, सिविल जज, अवर खण्ड/सदस्य तथा श्री पीयूष मित्तल, न्यायालय प्रबंधक/सदस्य उपस्थित रहे।

उपसमिति की सर्वसम्मत राय है कि स्वीकृत आगणन में निर्माण कार्य के स्थालाकृतिक सर्वेक्षण (Topographical Survey) मानचित्र भी उपलब्ध है जिसके अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि स्वीकृत आगणन में संपूर्ण चहारदिवारी का प्लिंथ लेवल बलरामपुर–गोण्डा मुख्य मार्ग के बराबर का है तथा बलरामपुर–गोण्डा मुख्य मार्ग की उंचाई तक ही प्लिंथ लेवल मानकर चहारदिवारी के अंदर के संपूर्ण खाली क्षेत्र में प्लिंथ लेवल तक मिट्टी भराई का कार्य भी कार्यदायी संस्था द्वारा इसी स्वीकृत धनराशी में किया जाना शामिल है। यह भी प्रतीत हो रहा है कि बलरामपुर–गोण्डा मुख्य मार्ग की उंचाई तक प्लिंथ लेवल मानकर उसके ऊपर चहारदिवारी की ऊंचाई 2400mm की दिवाल + 1200mm का ग्रिल + 750mm का भाला बनाया जाना है।

अतः इस संबंध में अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बलरामपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांकित 27.09.2023 **(संलग्नक – 2)** में दी गई सूचना स्वीकृत आगणन के साथ संलग्न स्थालाकृतिक सर्वेक्षण (Topographical Survey) मानचित्र के आधार पर सही प्रतीत नहीं हो रही है।

आख्या इस कार्यवृत्त के रूप में माननीय जनपद न्यायाधीश बलरामपुर को सादर प्रेषित है।

	29/9/2023	29.09.2023	29.09.2023
(पीयुष मित्तल)	(सुश्री अक्षिता मिश्रा)	(ज्ञानेन्द्र कुमार)	(अभिनितम उपाध्याय)
न्यायालय प्रबंधक/सदस्य, आधारभूत संरचना उपसमिति, जनपद न्यायालय, बलरामपुर।	सिविल जज (अवर खण्ड)/ सदस्य, आधारभूत संरचना उपसमिति, जनपद न्यायालय, बलरामपुर।	सिविल जज (प्रवर खण्ड)/ सदस्य, आधारभूत संरचना उपसमिति, जनपद न्यायालय, बलरामपुर।	अपर जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष, आधारभूत संरचना उपसमिति, जनपद न्यायालय, बलरामपुर।

Recd.
29.9.2023
AO

Self attested
Abhinitam upadhyay

संलग्नक-1

प्रेषक,

पियुष मित्तल,
न्यायालय प्रबंधक, जनपद न्यायालय,
बलरामपुर।

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
बलरामपुर।

पत्रांक –. 1039

दिनांकित – 20.09.2023

विषय – न्यायालय आवसीय परिसर के चारो तरफ चहारदिवारी निर्माण कार्य के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त के संदर्भ में दिनांक 01.09.2023 को जनपद न्यायालय बलरामपुर आधारभूत संरचना उपसमिति की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त माननीय जनपद न्यायाधीश बलरामपुर को प्रेषित किया गया जिस पर माननीय जनपद न्यायाधीश बलरामपुर द्वारा पृष्ठांकन आदेश दिनांकित 05.09.2023 से बिंदु संख्या – 1, 2 एवं 3 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। कार्यवृत्त बिंदु संख्या – 2 न्यायालय आवसीय परिसर के चारो तरफ चहारदिवारी निर्माण कार्य से संबंधित है। इस संबंध में अध्यक्ष, आधारभूत संरचना उपसमिति/अपर जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर द्वारा पत्रांक – 1002 दिनांकित 13.09.2023 आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। उक्त पत्र के ही अनुक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश बलरामपुर द्वारा मुझे निर्देशित किया गया है कि चहारदिवारी निर्माण कार्य के स्वीकृत आगणन **(छायाप्रति संलग्नक – 1)** के आलोक में आपसे निम्न बिंदुओं पर आख्या मंगाई जाए :-

1. स्वीकृत आगणन **(संलग्नक – 1)** में निर्माण कार्य के स्थालाकृतिक सर्वेक्षण (Topographical Survey) मानचित्र भी उपलब्ध है जिसके अनुसार क्या संपूर्ण चहारदिवारी का प्लिंथ लेवल बलरामपुर – गोण्डा मुख्य मार्ग के बराबर का है तथा क्या बलरामपुर – गोण्डा मुख्य मार्ग की ऊचांई तक प्लिंथ लेवल मानकर चहारदिवारी के अंदर के संपूर्ण खाली क्षेत्र में प्लिंथ लेवल तक मिट्टी भराई का कार्य भी कार्यदायी संस्था द्वारा इसी स्वीकृत धनराशी में किया जाना शामिल है।
2. क्या बलरामपुर–गोण्डा मुख्य मार्ग की ऊचांई तक प्लिंथ लेवल मानकर उसके ऊपर चहारदिवारी की ऊचांई 2400mm की दिवाल + 1200mm का ग्रिल + 750mm का भाला बनाया जाना है।

उक्त सूचना पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के अंदर प्रेषित करने का कष्ट करें।

Self attested
Abhinandan upadhyay

भवदीय,
20/9/2023
(पियुष मित्तल)
न्यायालय प्रबंधक, जनपद न्यायालय,
बलरामपुर।

संलग्न – यथोक्त

Email id-cdpwdbalrampur@gmail.com

संलग्नक-2

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग , बलरामपुर

पत्र संख्याः -1531/1 ली

दिनांकः 27/09/23

सेवा में,

न्यायालय प्रबन्धक,
म0 जनपद न्यायालय,
बलरामपुर।

विषयः- न्यायालय आवासीय परिसर के चारो तरफ चहारदीवारी निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- आपका पत्रांक 1039 दिनांक 20.09.2023

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में चहारदीवारी निर्माण कार्य के स्वीकृत आगणन के आलोक में वांछित आख्या बिन्दुवार निम्नवत् है:-

1. आगणन में संलग्न चहारदीवारी के क्रास सेक्सन एवं विस्तृत माप के अनुसार सम्पूर्ण चहारदीवारी का प्लिन्थ लेवल भूमितल से 450 एम0एम0 उंचाई पर अपनाया गया है। सम्पूर्ण चहारदीवारी का प्लिन्थ लेवल बलरामपुर गोण्डा मुख्य मार्ग के बराबर का कोई उल्लेख नही है। चहारदीवारी के अन्दर सम्पूर्ण खाली क्षेत्र में प्लिन्थ लेवल तक मिट्टी भराई का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा इसी स्वीकृत धनराशि में किया जाना सामिल नही है। सलंग्न टोपोग्राफिकल सर्वे शीट के अनुसार गोण्डा बलरामपुर मुख्य मार्ग के लेविल से भूमि का लेविल औसत लगभग 80सेमी0 नीचा है।
2. भूमितल से 450एम0एम0 ऊंचाई तक प्लिन्थ लेवल मानकर उसके ऊपर चहारदीवारी 2400 एम0एम0 की दीवाल + 1200एम0एम0 का ग्रिल + 750एम0एम0 का भाला बनाया जाना स्वीकृत आगणन में सम्मिलित है।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
बलरामपुर।

Self attested
Abhimanyu upadhyay

All office work/2019

1458

ANNEXURE-6

R
17/11/2023
10.09 Am

आधारभूत संरचना उपसमिति जनपद न्यायालय बलरामपुर की दिनांक 07.11.2023 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 07.11.2023 को अपराह्न 01.30 बजे अध्यक्ष, आधारभूत संरचना उपसमिति जनपद न्यायालय बलरामपुर के विश्राम कक्ष में जनपद न्यायालय बलरामपुर से संबंधित चल रहे आधारभूत निर्माण/मरम्मत कार्य की समीक्षा बैठक आहूत की गई तथा सभी कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि को दिनांक 07.11.2023 को आयोजित होने वाली समीक्षा बैठक में भाग लेने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में आधारभूत संरचना उपसमिति के अध्यक्ष के अतिरिक्त श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, सिविल जज प्रवर खण्ड/सदस्य, सुश्री अक्षिता मिश्रा सिविल जज, अवर खण्ड/सदस्य, श्री पीयूष मित्तल, न्यायालय प्रबंधक/सदस्य, श्री कुमार शैलेन्द्र, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग बलरामपुर, श्री योगेश चौहान, सहायक परियोजना प्रबंधक, उ०प्र० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि० यूनिट – 22 बहराइच, श्री विजय सिंह, सहायक अभियंता, उ०प्र० सहकारी संघ लि० गोण्डा तथा श्री आर.जे.आर. सोनकर, सहायक अभियंता, उ०प्र० लोकनिर्माण विभाग विद्युत इकाई अयोध्या उपस्थित रहे।

बैठक में जनपद न्यायालय में चल रहे सभी निर्माण/लघु निर्माण/मरम्मत कार्य की समीक्षा की गई जिसका विवरण निम्न है –

(1)– न्यायालय आवसीय परिसर में श्रेणी – V के 13 नए आवास का निर्माण कार्य –

(i) यह निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था उ०प्र० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि० यूनिट – 22 बहराइच के द्वारा कराया जा रहा है। उक्त कार्यदायी संस्था के सहायक परियोजना प्रबंधक श्री योगेश चौहान द्वारा लिखित प्रगति आख्या दिनांकित 07.11.2023 **(छायाप्रति संलग्नक – 1)** प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार उक्त निर्माण कार्य में कुल स्वीकृत धनराशी 897.69 लाख रूपये है जिसमें से संपूर्ण धनराशी अवमुक्त की जा चुकी है। कार्य माह अप्रैल 2022 में प्रारम्भ हुआ है। अबतक प्रथम ब्लाक सात आवासों के स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण हो चुका है। फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर है। द्वितीय ब्लाक के छः आवास के स्ट्रक्चर का कार्य भी पूर्ण हो गया है। प्लास्टर का कार्य प्रगति पर है। कार्य की वित्तीय प्रगति 66 प्रतिशत है तथा भौतिक प्रगति भी 66 प्रतिशत है। कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि माह अप्रैल 2024 है।

(ii) न्यायालय प्रबंधक द्वारा बताया गया कि लोक निर्माण विभाग बलरामपुर द्वारा उक्त कार्य के संबंध में भौतिक एवं गुणवत्ता जांच आख्या पत्र संख्या 1689/1C दिनांकित 20.10.2023 **(छायाप्रति संलग्नक – 2)** प्रेषित की गई थी जिसके अनुसार निर्माण कार्य लगभग 60 प्रतिशत पूर्ण है तथा गुणवत्ता संतोषजनक है। उक्त आख्या में बिंदु 5, 8 एवं 10 में दिए गए सुझाव का अनुपालन किया जाना है। इसके अतिरिक्त कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबंधक द्वारा पत्रांक 701 दिनांकित 28.08.2023 से निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट **(छायाप्रति संलग्नक – 3)** प्रेषित की गई थी। उक्त तृतीय पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट में क्रमांक 10 पर 17 बिंदुओं पर छोटी–बड़ी कमियां बताई गई है जिसके संबंध में 13 बिंदुओं पर सुझाव भी दिए गए थे। उपसमिति द्वारा पूर्व में की गई समीक्षा बैठक दिनांकित 01.09.2023 के कार्यवृत्त में कार्यदायी संस्था को निर्देशित किए जाने की संस्तुति की गई थी कि तृतीय पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट तथा लोक निर्माण विभाग बलरामपुर द्वारा प्रस्तुत भौतिक एवं गुणवत्ता जांच रिपोर्ट दिनांकित 17.08.2023 के आलोक में अपनी आख्या/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। उक्त संस्तुति को माननीय जनपद न्यायाधीश बलरामपुर द्वारा आदेश दिनांक 04.09.2023 से स्वीकृत किया गया

Self attested
Abhinitam upadhyay
07.11.2023

Abhinitam upadhyay
07.11.2023

जिसकी सूचना तदनुसार कार्यदायी संस्था को प्रेषित की गई। परंतु दो महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी अब तक कार्यदायी संस्था द्वारा इस संबंध अपनी आख्या/स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है तथा प्रथम दृष्टया दर्शित करती है कि कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा लापरवाही की जा रही है। अतः यदि माननीय जनपद न्यायाधीश बलरामपुर की अनुमति हो तो कार्यदायी संस्था को पुनः निर्देशित किया जा सकता है कि पूर्व समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त दिनांकित 01.09.2023 में की गई संस्तुत्ति के आलोक में वांछित आख्या अविलंब प्रस्तुत करें तथा लोकनिर्माण विभाग की भौतिक एवं गुणवत्ता जांच आख्या दिनांकित 20.10.2023 के बिंदु 5, 8 एवं 10 का अनुपालन सुनिश्चित करें।

(iii) कार्यदायी संस्था द्वारा पत्र संख्या 990 दिनांकित 03.11.2023 प्रेषित करते हुए कथन किया गया कि गैराज/सर्वेंट क्वार्टर के निर्माण हेतु ड्राइंग अनुमोदन तथा फ्लोरिंग हेतु लगाई जाने वाली टाइल के ब्रांड एवं कलर का निर्धारण अभी तक नहीं हो पाया है जिस कारण निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने में कठिनाई होगी। इस संबंध में बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि गैराज/सर्वेंट क्वार्टर के निर्माण हेतु ड्राइंग का अनुमोदन आगणन के साथ ही पूर्व में हो चुका है। वर्तमान समय में कार्यदायी संस्था के समक्ष केवल गैराज/सर्वेंट क्वार्टर बनाने का स्थल चिन्हित किए जाने में समस्या है। स्वीकृत आगणन के अनुसार मौके पर सात टाइप V आवास का एक भवन तथा छः टाइप V आवास का दूसरा भवन बन रहा है। दोनों भवनों के बीच इतना स्थान उपलब्ध है कि उसमें गैराज/सर्वेंट क्वार्टर का निर्माण किया जा सके। बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तावित किया गया कि सात टाइप V भवन तथा छः टाइप V भवन के मध्य वर्तमान में उपलब्ध रिक्त स्थान में नियमानुसार गैराज/सर्वेंट क्वार्टर का निर्माण किया जा सकता है क्योंकि यह स्थान सर्वथा उपयुक्त है। उपसमिति कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए उक्त प्रस्ताव से सहमत है। अतः यदि माननीय जनपद न्यायाधीश बलरामपुर की अनुमति हो तो निर्माणाधीन दोनों भवनों के बीच उपलब्ध खाली स्थान में नियमानुसार गैराज/सर्वेंट क्वार्टर का निर्माण कराए जाने हेतु कार्यदायी संस्था को अनुमति दी जा सकती है।

(iv) कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि से फ्लोरिंग हेतु लगाए जाने वाली टाइल्स के ब्रांड एव कलर के संबंध में भी वार्ता की गई। इस संबंध में उपसमिति के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से विचार व्यक्त किया गया कि आगणन में स्वीकृत किसी अच्छे ब्रांड की टाइल्स फ्लोरिंग हेतु लगाई जा सकती है जो ब्राइट कलर की हो। कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा भी इसका समर्थन किया गया। अतः यदि माननीय जनपद न्यायाधीश बलरामपुर की अनुमति हो तो फ्लोरिंग टाइल्स हेतु आगणन में स्वीकृत किसी अच्छे ब्रांड की टाइल्स जो ब्राइट कलर की हो लगाने हेतु कार्यदायी संस्था को अनुमति दी जा सकती है।

(v) उक्त समग्र परिस्थितियों के आलोक में यदि माननीय जनपद न्यायाधीश बलरामपुर की अनुमति हो तो कार्यदायी संस्था को यह भी निर्देशित किया जा सकता है कि वे तृतीय पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट **(संलग्नक – 3)** तथा लोक निर्माण विभाग बलरामपुर द्वारा प्रस्तुत भौतिक एवं गुणवत्ता जांच रिपोर्ट दिनांकित 17.08.2023 के आलोक में अपनी आख्या/स्पष्टीकरण अविलंब प्रस्तुत करें।

Self attested
Abhinandan Upadhyay

07.11.2023

Abhinandan Upadhyay
07.11.2023

(2)– न्यायालय आवसीय परिसर के चारो तरफ चाहरदिवारी निर्माण कार्य –

(i) उक्त निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था उ०प्र० सहकारी संघ लि० गोण्डा द्वारा किया जा रहा है जिसके प्रतिनिधि के द्वारा आज प्रगति आख्या दिनांकित 07.11.2023 **(छायाप्रति संलग्नक – 4)** प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार निर्माण कार्य की स्वीकृत लागत 414.77 लाख रूपये है जिसमें से समस्त धनराशी अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त निर्माण कार्य माह दिसंबर 2022 में शुरू हुआ जिसकी वित्तीय प्रगति 70 प्रतिशत है तथा भौतिक प्रगति 70 प्रतिशत है। अब तक कुल 1366 रनिंग मीटर चाहरदिवारी में से 1000 रनिंग मीटर कालम फुटिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। ग्रेड बीम का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। 850 रनिंग मीटर स्ट्रक्चर का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। जबकि प्लास्टर कार्य प्रगति पर है।

(ii) न्यायालय प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि इस निर्माण कार्य की भौतिक एवं गुणवत्ता जांच के संबंध में अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बलरामपुर द्वारा रिपोर्ट पत्र संख्या 1690/1C दिनांकित 20.10.2023 **(छायाप्रति संलग्नक – 5)** प्रस्तुत की गई जिसके अवलोकन से विदित है कि कार्य लगभग 56 प्रतिशत तक पूर्ण है। 100 मीटर लंबाई में प्लिंथ बीम का कार्य पूर्ण है। ईट चिनाई का कार्य प्रगति में है। ग्रिल का कार्य लगभग 307 मीटर पूर्ण है, शेष प्रगति में है। फिक्स किए गए ग्रिल पर अभी तक प्राइमर कोट नहीं लगा है जिसको अविलंब लगाए जाने की संस्तुति की गई। उपसमिति की पूर्व समीक्षा बैठक दिनांकित 01.09.2023 के कार्यवृत्त में भी लोक निर्माण विभाग की आख्या के अनुसार कार्यदायी संस्था को ग्रिल पर प्राइमर कोट लगाए जाने हेतु संस्तुत किया गया था। अतः यदि माननीय जनपद न्यायाधीश बलरामपुर की अनुमति हो तो कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जा सकता है कि वे स्वीकृत आगणन के अनुसार यथाशीघ्र कार्य पूर्ण कराए तथा लगाए गए ग्रिल में अविलंब प्राइमर कोट लगाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग बलरामपुर को भी निर्देशित किया जा सकता है कि चल रहे निर्माण कार्य की भौतिक एवं गुणवत्ता जांच इस संबंध में स्वीकृत आगणन के आलोक में करते हुए अपनी आख्या प्रेषित करें।

(iii) बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा कथन किया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा भौतिक एवं गुणवत्ता जांच आख्या दिनांक 20.10.2023 को प्रस्तुत की गई जबकि कार्यदायी संस्था द्वारा प्रगति आख्या आज दिनांक 07.11.2023 को प्रस्तुत की गई है। इसलिए भौतिक प्रगति आख्या के प्रतिशत में थोड़ा अंतर है।

(3)– नवीन न्यायालय परिसर स्थित न्यायालय कक्ष एवं विश्राम कक्ष में एयर कंडिशनर स्थापित करने का कार्य –

(i) यह कार्य कार्यदायी संस्था उ०प्र० लोकनिर्माण विभाग (विद्युत इकाई), अयोध्या द्वारा की जा रही है। कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि न्यायालय विश्राम कक्ष में कुल 10 एयर कंडिशनर 1.5 टन टाटा वोल्टास तथा न्यायालय कक्ष में कुल 36 एयर कंडिशनर 2.0 टन टाटा वोल्टास लगाया जाना है। उक्त सभी 46 एयर कंडिशनर न्यायालय परिसर में आ गए है और केन्द्रीय नाजिर जनपद न्यायालय बलरामपुर को प्राप्त कराए जा चुके है। एयर कंडिशनर न्यायालय कक्ष/विश्राम कक्ष में स्थापित करने का कार्य चल रहा है।

(ii) इस संबंध में पूर्व में श्री ओम प्रकाश, केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, बलरामपुर द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांकित 31.08.2023 से सूचित किया गया था कि केन्द्रीय नाजिर द्वारा दिनांक

Self attested
Abhinandan upadhyay

07.11.2023

Abhinandan upadhyay
07.11.2023

18.08.2023 को 36 एयर कंडिशनर 2.0 टन टाटा वोल्टास तथा 10 एयर कंडिशनर 1.5 टन टाटा वोल्टास कार्यदायी संस्था से प्राप्त किया गया था जिसमें से सभी एयर कंडिशनर न्यायालय कक्ष एवं विश्राम कक्ष में लगाए जा चुके है। इसके अतिरिक्त अभी पाइप वायरिंग व बिजली वायरिंग का काम भी चल रहा है।

(iii) कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या दिनांकित 06.11.2023 **(छायाप्रति संलग्नक – 6)** के अवलोकन से विदित है कि कार्य की भौतिक प्रगति 90 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुकी है। पैनल उर्जाकृत करने का कार्य प्रगति पर है। दिनांक 25.11.2023 तक कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। अतः यदि माननीय जनपद न्यायाधीश बलरामपुर की अनुमति हो तो कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जा सकता है कि उक्त कार्य को प्राथमिकता के आधार पर आगणन के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए दी गई अवधि में पूर्ण किया जाए।

(4)– पुराने न्यायालय परिसर तहसील कंपाउंड बलरामपुर में स्थित श्रेणी – IV के 4 आवास तथा श्रेणी – II के 12 आवास का मरम्मत कार्य –

(i) यह कार्य निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग बलरामपुर द्वारा किया जा रहा है। न्यायालय प्रबंधक द्वारा सूचित किया गया कि कार्यदायी संस्था को पूर्व में पत्रांक 746 दिनांकित 26.06.2023 **(छायाप्रति संलग्नक – 7)** से विनिर्दिष्ट बिंदुओं पर सूचना आहूत की गई थी जिसके प्रति उत्तर में श्री अनिल कुमार, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बलरामपुर द्वारा पत्र दिनांकित 06.07.2023 से सूचना प्रेषित की गई थी परन्तु वह सूचना अपूर्ण थी। इस बात की जानकारी कार्यदायी संस्था को मौखिक रूप से दी गई थी। इस संबंध में कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा कथन किया गया कि वे अपनी प्रगति आख्या में सभी वांछित सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध कराएंगे।

(ii) न्यायालय प्रबंधक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जिन सरकारी आवासों (श्रेणी – IV के 4 आवास तथा श्रेणी – II के 12 आवास) में मरम्मत का कार्य होना था उनमें कार्य के बाबत संबंधित आवासों में अध्यासित अधिकारी/कर्मचारीगण से आवास में किए गए मरम्मत कार्य के बाबत लिखित सूचना मंगाई गई थी, जो प्राप्त हो चुकी है। प्राप्त सूचना के अनुसार मरम्मत कार्य अभी भी अपूर्ण है तथा कराए गए कार्य में भी काफी त्रुटियाँ है।

(iv) उक्त परिस्थितियों में यदि माननीय जनपद न्यायाधीश बलरामपुर की अनुमति हो तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा प्रदत्त लिखित सूचना की प्रति कार्यदायी संस्था को प्रेषित कर इस संबंध में सत्यापन के साथ आख्या प्रेषित करने हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जा सकता है।

समीक्षा बैठक दिनांकित 07.11.2023 का कार्यवृत्त माननीय जनपद न्यायाधीश बलरामपुर को सादर प्रेषित की जाए।

07.11.2023 Abhinitam upadhyay 07.11.2023

(पीयूष मित्तल) न्यायालय प्रबंधक/सदस्य, आधारभूत संरचना उपसमिति, जनपद न्यायालय, बलरामपुर।	(सुश्री अंकिता मिश्रा) सिविल जज (अवर खण्ड)/ सदस्य, आधारभूत संरचना उपसमिति, जनपद न्यायालय, बलरामपुर।	(ज्ञानेन्द्र कुमार) सिविल जज (प्रवर खण्ड)/ सदस्य, आधारभूत संरचना उपसमिति, जनपद न्यायालय, बलरामपुर।	(अभिनितम उपाध्याय) अपर जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष, आधारभूत संरचना उपसमिति, जनपद न्यायालय, बलरामपुर।

Self attested
Abhinitam upadhyay

<u>आदेश</u>

अवलोकित। चूंकि आधारभूत उप संरचना जनपद न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति है, इसलिये समिति के उध्यक्ष व सदस्यगण निर्माणाधीन परियोजनाओं के भौतिक निरीक्षण कर समीक्षा के उपरान्त कार्यदायी संस्था को यथोचित निर्देश निर्गत करने हेतु स्वतंत्र हैं। अतः समिति को निर्देशित किया जाता है कि वे समय–समय पर निर्माणाधीन परियोजनाओं के भौतिक निरीक्षण करें तथा अपने स्तर से कार्यदायी संस्था को यथोचित निर्देश/आदेश निर्गत कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें।

15/11/23
जनपद न्यायाधीश
बलरामपुर

ANNEXURE-7

आधारभूत संरचना उपसमिति जनपद न्यायालय बलरामपुर की दिनांक 18.11.2023 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

आज दिनांक 18.11.2023 को संध्या 04.30 बजे आधारभूत संरचना उपसमिति, जनपद न्यायालय बलरामपुर की बैठक उपसमिति के अध्यक्ष के विश्राम कक्ष में आहूत की गई जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, सिविल जज प्रवर खण्ड/सदस्य, सुश्री अक्षिता मिश्रा, सिविल जज, अवर खण्ड/सदस्य तथा श्री पीयूष मित्तल, न्यायालय प्रबंधक/सदस्य उपस्थित रहें।

आधारभूत संरचना उपसमिति, जनपद न्यायालय बलरामपुर की समीक्षा बैठक दिनांकित 07.11.2023 के कार्यवृत्त को माननीय जनपद न्यायाधीश बलरामपुर को सादर प्रेषित किया गया था जिसमें जनपद न्यायालय बलरामपुर से संबंधित चल रहे विभिन्न आधारभूत निर्माण/मरम्मत कार्य के बाबत संबंधित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रेषित आख्या एवं लोकनिर्माण विभाग की आख्या के आलोक में विभिन्न संस्तुतियाँ की गई थी एवं इस संबंध में माननीय जनपद न्यायाधीश बलरामपुर की अनुमति याचित की गई थी।

उक्त कार्यवृत्त पर माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांकित 15.11.2023 की प्रति दिनांक 17.11.2023 को प्राप्त हुई जिसमें माननीय जनपद न्यायाधीश बलरामपुर द्वारा आदेशित किया गया कि चूकि आधारभूत संरचना उपसमिति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति है इसलिए समिति के अध्यक्ष व सदस्यगण निर्माणाधीन परियोजनाओं का भौतिक निरीक्षण कर समीक्षा के उपरांत कार्यदायी संस्था को यथोचित निर्देश निर्गत करने हेतु स्वतंत्र है।

इस संबंध में आज आधारभूत संरचना उपसमिति की आयोजित बैठक में सभी सदस्यगण द्वारा सर्वसम्मिति से विचार व्यक्त किया गया कि आधारभूत संरचना उपसमिति हालांकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार गठित है परंतु माननीय जनपद न्यायाधीश के निर्देशन में ही कार्य करती है। पूर्व में भी आधारभूत संरचना उपसमिति के विभिन्न प्रस्ताव, कार्यवृत्त तथा संस्तुतियों के आलोक में माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा सामान्य दिशानिर्देश एवं स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया जाता रहा है। साथ ही मौखिक एवं लिखित निर्देशों से मार्गदर्शन भी किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आधारभूत संरचना उपसमिति के सभी कार्यवृत्त तथा संस्तुतिया माननीय जनपद न्यायाधीश को प्रेषित की जाती है जिन्हें माननीय जनपद न्यायाधीश की स्वीकृति/अनुमोदन मिलने के उपरांत ही प्रभावी किया जा सकता है।

अतः उक्त समग्र परिस्थितियों के आलोक में आधारभूत संरचना उपसमिति सर्वसम्मिति से माननीय जनपद न्यायाधीश बलरामपुर से विनम्र निवेदन करती है कि उपसमिति की समीक्षा बैठक दिनांकित 07.11.2023 में की गई विभिन्न संस्तुतियों को स्वीकृत/अनुमोदित करने अथवा इस संबंध में उचित दिशानिर्देश जारी करने की कृपा करें ताकि स्वीकृत/अनुमोदित संस्तुतियों एवं तदनुसार जारी निर्देशों का प्रभावी अनुपालन कराया जा सकें।

इस बैठक दिनांकित 18.11.2023 का कार्यवृत्त माननीय जनपद न्यायाधीश बलरामपुर को सादर प्रेषित किया जाए।

आदेश
विलोकित। अध्यक्ष आधारभूत संरचना उपसमिति को निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकरण के सम्बन्ध अधोहस्ताक्षरी परामर्श के उपरान्त अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
जनपद न्यायाधीश
बलरामपुर
24/11/2023

(पीयूष मित्तल) 18/11/2023	(सुश्री अक्षिता मिश्रा) 18/11/2023	(ज्ञानेन्द्र कुमार) 18.11.2023	(अभिनितम उपाध्याय) 18.11.2023
न्यायालय प्रबंधक/सदस्य, आधारभूत संरचना उपसमिति, जनपद न्यायालय, बलरामपुर।	सिविल जज (अवर खण्ड)/सदस्य, आधारभूत संरचना उपसमिति, जनपद न्यायालय, बलरामपुर।	सिविल जज (प्रवर खण्ड)/सदस्य, आधारभूत संरचना उपसमिति, जनपद न्यायालय, बलरामपुर।	अपर जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, आधारभूत संरचना उपसमिति, जनपद न्यायालय, बलरामपुर।

Self attested
Abhinitam upadhyay